<u>न्यायालयः – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 253 / 14 संस्थापन दिनांक—02 / 12 / 14 फाइलिंग नंबर—230303015372014

आनन्दी बाई पत्नी भगवान सिंह पुत्री रामगोपाल जाटव आयु 35 साल निवासी ग्राम घूम का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड हाल निवासी ग्राम गडरौली परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—<u>पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका</u>

वि रुद्ध

भगवान सिंह पुत्र परसराम जाति जाटव आयु 36 साल निवासी घूम का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----<u>प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक</u>

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

न्यायालय—श्री केशव सिंह, जे.एम.एफ.सी. गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक—62 / 10 इ०फौ० में निर्णय दिनांक 17 / 9 / 14 से उत्पन्न दांडिक पुनरीक्षण ।

-----\

<u> -:- आ दे श -:-</u>

(आज दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को पारित किया गया)

- 1— पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका श्रीमती आनंदी बाई की ओर से उक्त पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा—397 दं०प्र०स० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री केशव सिंह द्वारा प्रकरण कं0—62/2010 मू०फौ० में दिनांक 17/09/14 में धारा—125 दं०प्र०स० का भरण पोषण संबंधी आवेदनपत्र निरस्त दिए जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसकी ओर से प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक भगवानसिंह से पित के नाते 5,000/—रूपये मासिक भरण पोषण राशि की मांग की गई है।
- 2— प्ररकण में यह निर्विवादित तथ्य है, कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका श्रीमती आंनदी बाई का प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक भगवान सिंह के साथ दिनांक 21/05/94 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ था और दिसंबर 2007 तक वे पति पत्नी होकर साथ—साथ रहे, इस दौरान उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यह भी

स्वीकृत है, कि उक्त दोनों पक्षकारों का विधि की प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय से कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, यह भी स्वीकृत है, कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने पुनर्विवाह किया है।

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका का धारा—125 दं०प्र०स० के मूल आवेदनपत्र का सार संक्षेप में स्वीकृत तथ्यों के अलावा इस प्रकार है, कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ वह विवाह पश्चात ससुराल में रहीं, उसके पिता द्वारा विवाह में अपनी सामर्थ अनुसार दान दहेज दिया था, जिससे अनावेदक / प्रतीपुनरीक्षणकर्ता और उसके परिवार वाले संतुष्ट हुए और गौना होने के समय से उसके साथ कूरता और प्रताडना का व्यवहार करते हुए दहेज में मोटरसाइकिल और 50,000 / -रूपये की मांग करते रहे तथा दिसंबर 2007 में उसे उसके मायके छोड दिया और फरबरी 2008 में अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने रीना पुत्री दर्शनलाल जाटव निवासी ग्राम अजनौधा के साथ शादी कर ली, उसके बाद भी वह दो साल तक साथ रखने के लिए इंतजार करती रही, किंतु अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता और उसके परिजन नहीं आए, तब दिनांक 05/07/2010 को ग्राम घूम के पुरा में पचायत भी जोडी गई, जिसमें उसके पिता से अभद्रता की गई और साथ रखने से इन्कार कर दिया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन कर 5,000 / – रूपये मासिक भरण पोषण की मांग इस आधार पर की गई कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने उसे अकारण त्याग दिया है और उसके पास स्वयं के भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, तथा वह अशिक्षित ग्रामीण, बेरोजगार महीला है, उसके पास स्वयं के भरण पोषण का कोई और उसके पिता पर और भी जिम्मेदारी अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता स्वस्थ व समर्थ व्यक्ति होकर 10 बीघा कृषि भूमि का स्वामी है और उसे 3,00,000 / – रूपये वार्षिक की आमदनी होती है।

प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक की ओर से जबाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों के अलावा पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका के अभिवचनों का खण्डन करते हुए यह लेख किया है, कि आवेदिक / पुनरीक्षणकर्ता के साथ उसकी शादी बिना दान दहेज के हुई थी और आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने जो स्वेच्छा से सामान दिया था वह आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के पास ही है, उन्होंने ने दहेज की कभी कोई मांग नहीं की, ना ही उसके लिए आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को परेशान किया, ना यातनायें दीं और विवाह पश्चात से आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता अपनी मर्जी से ही मायके जाती रही, अनेक बार उसे लाने का भी प्रयास किया गया, किंतु आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता नहीं आई और विवाह पश्चात वर्ष 2006 तक आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को कोई संतान नहीं हुई थी, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता ने ही दूसरी शादी करने के लिए उससे कहा, जबकि वह इन्कार करता रहा, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता ने ही रीना से उसकी दूसरी शादी तय की और वही देखने भी गई थी तथा रीना गडरौली में साथ में भी रही और उसके कहने पर भी आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता नहीं आई, रीना से उसे एक बच्चा भी हो गया है, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता उसके साथ रहने को तैयार नहीं है, जबकि वह उसे अपने साथ रखकर सुख पूर्वक भरण पोषण को तैयार है, उसने अपनी कृषि भूमि का आधा हिस्सा भी आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के नाम कर दिया है, जिससे उसे आमदनी की हो गई है, वह आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को अलग से मकान में रखने को तैयार है, किंत् आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता तैयार नहीं है, इसलिए उसके भरण पोषण के आवेदन को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

5— आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के उक्त भरण पोषण संबंधी आवेदनपत्र का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण विचार करते हुए दिनांक 17 / 09 / 14 को पारित अंतिम आदेशानुसार आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का भरण पोषण का अवेदनपत्र उसके साथ रहने को तैयार ना होने के मूल आधार पर और भरण पोषण की व्यवस्था उसके पास स्वतः होने के आधार पर निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका में जो बिन्दु उठाए गए है और जो आधार लिए गए है, उसमें सारतः यह आधार लिया गया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है और भरण पोषण का अवेदनपत्र उचित आधार होते हुए भी निरस्त कर दिया, जबकि आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता ने अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ ना रहने संबंधी अपनी पीडा साक्ष्य में बताई थी, कि हम बहुत रह लिए अब रहना नहीं चाहते है, क्योंकि अभी तक ठीक से नहीं रखा, अब रहने से क्या फायदा, तथा अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने दूसरी पत्नी रख ली है, जिसमें आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की कोई सहमति नहीं थी, ना इसके संबंध में कोई दस्तावेज लिखा गया और दूसरी पत्नी के होते हुए आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ रहना मुश्किल है, इसका अर्थान्वयन करने में अधीनस्थ न्यायालय विफल रहा है, कानूनन पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती है और कोई विवाह विच्छेद नहीं हुआ है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के कथन तथा तथ्यों पर अंधा विश्वास करते हुए आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता अशिक्षित महीला है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जबिक अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता स्वस्थ एवं सक्षम व्यक्ति है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश अपास्त करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका को 5,000 / – रूपये मासिक भरण पोषण अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता से दिलाया जावे।

7— प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—

1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/10 मू०फौ० में दि0 17/09/14 को पारित आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित, व औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?

2— ''क्या, पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका, प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक से 5,000/—रूपये मासिक भरण पोषण राशि प्राप्त करने की पात्र है ?

-:- निष्कर्ष के आधार-:-

8— उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

9— आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में पुनरीक्षण याचिका में उठाए बिन्दुओं और लिए गए आधारों पर बल देते हुए, उसी अनुरूप तर्क दिए है, तथा आलोच्य आदेश की कण्डिका 12 पर विशेष बल दिया है, तथा आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के अभिसाक्ष्य के पैरा—02 और अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के

अभिसाक्ष्य के पैरा–04 एवं 06 पर भी विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनरीक्षण याचिका किए जाने की प्रार्थना की है। जिसका खण्डन अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है, कि सामाजिक प्रथा आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता 📝 ने भी विवाह कर लिया अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का विवाह आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की सहमति और इच्छा से हुआ था, क्योंकि उसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी और अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता से जातीय रीति रिवाज अनुसार छोडा छुट्टी के माध्यम से विवाह विच्छेद हो चुका है, उसके बाद ही अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने रीना नामक महीला से पुनर्विवाह किया है, तथा आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता ने भी पप्पू जाटव पुत्र भोजराज जाटव निवासी गौतम नगर से पूनर्विवाह कर लिया है, जिसके भी एक संतान पैदा हो गई है, तथा जब छोडा छुट्टी हुई थी, तो अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को अपने पिता की मृत्यू पश्चात प्राप्त हुई 12 बीघा भूमि में से आधी भूमि आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को दी जा चुकी है और आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है, जिससे उसका भरण पोषण होता है, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है, आवेदन बेबुनियाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त किया है, इसलिए पुनरीक्षण याचिका में कोई बल नहीं है और पुनरीक्षण याचिका को सव्यय निरस्त किया जाए।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कें पर चिंतन, मनन किया गया, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख पर आई साक्ष्य और पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्यों को भी विचार में लिया गया, यह सही है, कि आवेदिका/पूनरीक्षणकर्ता व प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक का हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विवाह विच्छेद घोषित नहीं हुआ है, ना उसके संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, जातिगत रूढि के आधार पर विवाह विच्छेद होना बताया गया है। धारा—125 दं0प्र0स0 के उपबंध मृताबिक पत्नी अपने पति से भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती है, जबिक यह आधार स्थापित हो कि उसके पित ने उसका बिना युक्तियुक्त हेतूक के परित्याग कर दिया है और उसका भरण पोषण सक्षम होते हुए भी नहीं कर रहा है, तथा पत्नी स्वयं अपने भरण पोषण में सक्षम नहीं है, अर्थात पत्नी के पास प्रथक रहने का सुदृढ कारण हो। अभिलेख पर दोनों पक्षों की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई है, उसमें यह तथ्य निर्विवादित रहा है, कि पक्षकारों का विवाह सन्-1994 में हिन्दू रीति रिवाज से सप्तपदी के माध्यम से सम्पन्न हुआ था और वर्ष 2006 तक उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, यह भी निर्विवादित है, कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने रीना नामक स्त्री से पुनर्विवाह कर लिया है, जिससे उसे एक संतान भी उत्पन्न हो गई है, यह तथ्य भी निर्विवादित रूप से स्थापित है, कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार में जो भूमि प्राप्त हुई थी, उसमें से आधी भूमि आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के नाम राजस्व अभिलेख में इंद्राजित है, अर्थात आधी भूमि का उसे भूमिस्वामी बनाया गया है और उसका नामांतरण भी हुआ है, हालांकि इस संबंध में दस्तावेज पेश नहीं है, किंतू इस आशय की स्वीकारोक्ति स्वयं आवेदिका / पूनरीक्षणकर्ता आनंदी बाई आ०सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में की है और यह सुस्थापित विधि है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 में उपबंधित है, कि स्वीकृत तथ्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए स्वीकृत तथ्यों के संबंध में लेखीय प्रमाण ना होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव किसी भी पक्ष पर नहीं माना जा सकता है।

- आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मूल आवेदनपत्र में भरण पोषण की मांग 11-करते हुए यह आधार लिया गया था, कि दहेज के लिए उसे प्रताडित किया गया और दिसंबर 2007 में उसे मायके छोड दिया और उसके बाद अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता या उसके परिजन उसे लेने नहीं आए, तथा रीना से शादी कर लेने के बाद भी वह दो साल तक साथ रहने के लिए इंतजार भी करती रही, अर्थात अभिवचनों को देखते हुए आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का आधार पति द्वारा अकारण किए गए परित्याग पर आधारित है, जैसा की आनंदी बाई आ0सा0-01 अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-01 में भी बताती है, जिसका समर्थन उसके पिता रामगोपाल आ०सा0-02 एवं भाई महेश कुमार आ०सा0-03 ने अपने मुख्य परीक्षण में किया है, किंतू आनंदी बाई ने पैरा-02 में अभिवचनों से भिन्न अभिसाक्ष्य देते हुए भरण पोषण के लिए सक्षमता के बारे में यह स्वीकारोक्ति की है, कि उसके मायके में उसके पिता के घर खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था है और वह अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता जाने को तैयार के साथ अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता यदि उसे अच्छी तरह से रखे तो भी वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत रह लिया है, अब रहना नहीं चाहते है, क्योंकि उसे अभी तक ठीक नहीं रखा अब रहने से क्या फायदा और वह तलाक लेने के लिए तैयार है, उसके द्व ारा यहां तक कहा गया है, कि वह मर भी जाएगी, तब भी अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षकर्ता के घ ार नहीं जाएगी। उसके द्वारा इस तरह का कोई आधार प्रकट नहीं किया गया है, कि अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा की गई दूसरी शादी के कारण वह रहना नहीं चाहती है, हालांकि अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–03 में उसने वार्ड नंबर 17 गौतम नगर निवासी पप्पू जाटव पुत्र भोजराज जाटव से अपना पुनर्विवाह कर लेने और उसके साथ ही रहने के सुझावों से इन्कार किया है, अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता भगवानसिंह अना०सा०–०1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा–02 में पप्पू जाटव के घर में आनंदी बाई के मौजूद मिलने की बात कही है और उसने रीना नामक स्त्री से दूसार विवाह तो स्वीकार किया है, जिसके बारे में अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का यह भी कहना रहा है, कि स्वयं आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता ने ही संतान उत्पन्न ना होने के कारण उसका विवाह कराया था 📈
- 12— भरण पोषण के संबंध में आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के पिता रामगोपाल ने भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—02 में यह कहा है, कि उसके यहां आनंदी की देख रेख अन्य बच्चों की भांति पूर्ण रूप से की जाती है और लड़की वर्तमान में भगवान सिंह के साथ रहना नहीं चाहती है, उसके घर रहती है, उसने आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का पप्पू नामक व्यक्ति के साथ पुनर्विवाह सामाजिक परंपरा के अंतर्गत करने से इन्कार किया है, आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के भाई महेश कुमार आ0सा0—03 ने भी अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—03 में यह कहा है, कि उसकी बहन उसके घर पर अन्य भाई बहनों की तरह अच्छे से रह रही है और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था है, उसने भी पप्पू से सामाजिक परंपरा के तहत पुनर्विवाह करने से इन्कार किया है, तथा इस बात से भी इन्कार किया है, कि उसकी बहन ने ही अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता का दूसरा विवाह कर वाया था।
- 13— इस प्रकार से आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता और उसके पिता, भाई आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के भरण पोषण को लेकर कतई चिंतित नहीं है, तथा भगवानसिंह की भांति आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को ससुराल से कृषि भूमि का समान भाग प्राप्त हुआ है, जिससे उसके भरण पोषण की व्यवस्था संभवतः हो रही है, ऐसी स्थिति में अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता भगवानसिंह के द्वारा पैरा—06 में की गई यह स्वीकारोक्ति कि

आनंदी बाई कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं करती है, अनपढ महिला है और अपना स्वयं भरण पोषण नहीं कर सकती है, उसका आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

यह सही है, कि विवाहित पत्नी के रहते हुए बगैर विवाह विच्छेद हुए पुनर्विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके संबंध में आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता विधिक कार्यवाही को स्वतंत्र है, यह भी सही है, कि पुनर्विवाह कर लिया जाना प्रथक रहने का सुदृढ आधार होता है, किंतु इस आधार पर भरण पोषण की मांग स्पष्टतः नहीं की गई है, बिल्क आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अभिवचन किया गया है, कि दूसरी शादी कर लेने के बाद भी वह अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ रहने के लिए दो साल तक प्रतीक्षारत रही और आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता ने कहीं भी सुदृढता से यह अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं कहा है कि पुनर्विवाह करने के कारण अब वह आनवेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के साथ रहने को तैयार नहीं है, बिल्क वह यह कहती है, कि मर भी जाऊंगी, तब भी अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के घर नहीं जाऊंगी। ऐसी स्थिति में पुनर्विवाह के बिन्दु के आधार पर भरण पोषण की मांग स्पष्टतः ना करने से इस आधार पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

15— अभिलेख पर जो परिस्थितियां है, उसमें आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता को अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता से आधी कृषि भूमि प्राप्त है, जिससे वह अपनी इच्छानुसार व्ययन करने में सक्षम है, और उससे भी भरण पोषण कृषि कार्य के माध्यम से से स्वयं करके या मजूदरी पर करा के या बटाई आदि पर देकर धन अर्जित कर सकती है।

आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का पप्पू जाटव पुत्र भोजराज जाटव नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह के संबंध में स्वीकारोक्ति तो अभिलेख पर नहीं है, किंतू इस संबंध में अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता भगवानसिंह अना०सा०–०१ की प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य आए है, उनसे परिस्थितियां इसी ओर इशारा करती हैं, कि आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा भी पुनर्विवाह कर लिया गया है, क्योंकि आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता का मायका निर्विवादित रूप से ग्राम गडरौली में है तथा अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ग्राम घूम के पूरा का निवासी है, दोनों के थाना क्षेत्र अलग अलग है और पप्पू जाटव पुत्र भोजराज जाटव निवासी वार्ड नंबर 17 गौतम नगर गोहद के घर पर आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की उपस्थिति के बारे में स्वयं आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता पर की गई प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य आए हैं, कि जब पंचायत जोडी गई थी, तब आनंदी बाई वहां नहीं थी, बल्कि गौतम नगर में घर में थी और इस संबंध में प्र0डी0-01 का पंचनाम अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से पेश किया गया है, जिसमें आनंदी बाई का पुनर्विवाह सामाजिक रीति से राधे (पप्पू) पुत्र भोजराज जाटव के यहां हो जाना उल्लेखित किया है, हालांकि उस पंचनामे का कोई भी व्यक्ति अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने अपनी ओर से साक्ष्य में पेश नहीं किया है, इसके अलावा प्र0डी0-02 के रूप में भगवानसिंह द्वारा आनंदी बाई के विरूद्ध दामपत्य संबंधों की पुर्नस्थापना बाबत प्रकरण चलाना अन0सा0-01 ने पैरा-05 में बताया है और यह कहा है, कि उस प्रकरण में आनंदी बाई के हाजिर होने के लिए गौतम नगर के पते पर तामील गई थी, जिसमें आनंदी बाई के वर्तमान पति पप्पू जाटव का लिखा गया था, जिसे आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से गलत लिखाया जाना कहा है, किंतु प्र0डी0-02 के रूप में अपर जिला न्यायालय गोहद से जारी सबब बताने के लिए नोटिस की जो तामीली रिपोर्ट आदेशिका वाहक के द्वारा संबंधित कोटवार अफजल को गवाह बनाते हुए लेख बद्ध की गई है, उसमें प्र0डी0-02 के नोटिस जो आनंदी बाई की बल्दियत और पता अंकित किया गया था, उसमें आनंदी बाई पत्नी भगवान सिंह वर्तमान पति पप्पू जाटव वार्ड नंबर 17 गौतम नगर मेन रोड गोहद का उल्लेख किया था और तामली रिपोट पर यह स्पष्ट टीप लिखी गई है, कि श्रीमती आनंदी बाई मौके पर मकान पर मिली उन्हें तामील पढकर सुनाई, सुनने के बाद तामील लेने से इन्कार कर दिया, जिसका उचित रूप से खण्डन नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान परिस्थितियों में भरण पोषण के बिन्दू के लिए जिन तथ्यों का स्थापित होना आवश्यक है, उनका आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में अभाव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि द्वितीय विवाह के आधार पर प्रथक रहते हुए भरण पोषण नहीं मांगा गया है , बल्कि अन्य आधारों पर मांगा गया है, जो आधार स्थापित और प्रमाणित नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिक के माध्यम से चाहा गया भरण पोषण प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है, द्वितीय विवाह के आधार पर प्रथक रहते हुए भरण पोषण की मांग के लिए विधिक कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि इस संबंध में पूर्व न्याय का सिद्धांत (Principle of Resjudiceta) लागू नहीं होता है।

े उपरोक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में आवेदिका / पुनरीक्षणकर्ता की प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिक स्वीकार योग्य ना पाए जाने से बाद विचार निरस्त की जाती है और आलोच्य आदेश में लिए गए आधारों पर भरण पोषण प्रदान किए जाने से इन्कारी के निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा 18-जावे।

दिनांक— 27 अक्टूबर 2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(पी०सी० आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

्राकेत वि (पी०सी० आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड